दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/1021 30.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान के मद्देनजर सभी बंदरगाहों/हवाई अड्डों से एफसीएल/एलसीएल कार्गो का अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट।

संदर्भ संख्या: परिपत्र संख्या 15/2026-सीमा शुल्क दिनांक 30.03.2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि सीबीआईसी ने उपरोक्त परिपत्र जारी किया है **जिसमें बोर्ड द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में गंभीर व्यवधान के संदर्भ में जारी परिपत्र संख्या 09/2026-सीमा शुल्क दिनांक 08.03.2026 , संख्या 10/2026-सीमा शुल्क दिनांक 10.03.2026** और **संख्या 12/2026-सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2026** का उल्लेख किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात माल को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से भारतीय जलक्षेत्र में मोड़ा/वापस भेजा जा रहा है।

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी समुद्री बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से एफसीएल और एलसीएल दोनों प्रकार के कार्गो का अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट अनुमत होगा, जिसमें अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से आवागमन से जुड़े मामले भी शामिल हैं, बशर्ते सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया जाए।

2. प्रत्येक सीमा शुल्क क्षेत्र एक नोडल अधिकारी (सीमा शुल्क के अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे का न हो) नियुक्त करेगा। ऐसे अधिकारियों का विवरण सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा और आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। **नोडल** अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई की अनुमतियाँ संबंधित आयुक्त द्वारा विधिवत अधिकृत सहायक/उप सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उचित सत्यापन के बाद प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाएँ।

3. **एकाधिक सीमा शुल्क स्टेशनों से जुड़े ट्रांसशिपमेंट** : ऐसे मामलों में जहां अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट में माल को आगे ट्रांसशिपमेंट के लिए किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन (बंदरगाह/हवाई अड्डे) पर ले जानी शामिल है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

- आरंभिक सीमा शुल्क चौकी पर तैनात नोडल अधिकारी को संबंधित पारगमन/गंतव्य सीमा शुल्क चौकी के नोडल अधिकारी से आधिकारिक ईमेल के माध्यम से पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी;
- पारगमन/गंतव्य नोडल अधिकारी, ऐसे माल के परिवहन को संभालने और उसकी निगरानी करने के लिए भंडारण, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स की तत्परता की पुष्टि करने के बाद सहमति प्रदान करता है।
- एक बार सहमति प्राप्त हो जाने पर, संबंधित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि माल ढुलाई की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाए।
- माल को पारगमन/गंतव्य सीमा शुल्क स्टेशन तक ले जाने की प्रक्रिया उचित सीमा शुल्क नियंत्रण के अंतर्गत होगी (जिसमें आवश्यकतानुसार कंटेनरों को सील करना भी शामिल है)।

4. माल के आरंभिक, पारगमन और गंतव्य सीमा शुल्क केंद्रों पर माल के संरक्षक, माल की सुरक्षित अभिरक्षण, उचित भंडारण, उचित प्रबंधन और लेखा-जोखा के लिए तब तक जिम्मेदार होंगे जब तक वह उनके अधीन रहता है। संरक्षक सभी सीमा शुल्क निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, उचित अभिलेख रखेंगे, सीमा शुल्क पर्यवेक्षण में सहयोग करेंगे और माल में पाई गई किसी भी विसंगति, क्षति या अनियमितता की तत्काल रिपोर्ट करेंगे।

5. **आईसीडी पर मंजूरी प्राप्त निर्यात माल के लिए, लेकिन व्यवधान के कारण प्रवेश द्वार बंदरगाहों पर पड़े हुए माल के लिए:**

- निर्यातकर्ता मूल बंदरगाह सीमा शुल्क विभाग (आईसीडी) पर एलईओ/शिपिंग बिल रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। रद्द करने के आधार पर, प्रवेश द्वार बंदरगाहों पर सीमा शुल्क विभाग वापसी या मार्ग परिवर्तन के

लिए माल को बंदरगाह से बाहर जाने की अनुमति दे सकता है।
- अनुरोधों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी, और भौतिक दस्तावेजों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्राथमिकता दी जाएगी।

उपरोक्त सुविधा, परिपत्र संख्या 12/2026-सीमा शुल्क 17.03.2026 (वैधता 31.03.2026 तक https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260318023059.pdf) के पैरा 3 में दर्शाई गई **छूट समयसीमा के** साथ **,** अब **15.04.2026 तक लागू रहेगी ।**

सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत परिपत्र देखें:
https://membership.plasticsepc .org/mails_images/202603300332 54.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार
भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल

---------- ---------- --उद्धरण---------- ---------- --

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/959 20.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल / सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से निर्यात माल की वापसी - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान और परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से भारतीय बंदरगाहों पर निर्यात माल की वापसी के संदर्भ में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिनांक 17 मार्च 2026 को **परिपत्र** संख्या 12 /2026-सीमा शुल्क जारी किया है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड निम्नलिखित प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

(क) कोई पोत किसी भारतीय बंदरगाह से रवाना होकर किसी दूसरे भारतीय बंदरगाह पर उतरा हो:

1. शिपिंग लाइन या एजेंट को लैंडिंग पोर्ट पर **सी अराइवल मैनिफेस्ट (एसएएम) दाखिल करना होगा। डीजी सिस्टम भारत लौटने वाले जहाजों के लिए डमी पोर्ट कोड प्रदान करेगा।**

2. उतारे गए कंटेनरों का सत्यापन एसएएम और अन्य दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

3. सील की अखंडता की जॉच की जाएगी; छेड़छाड़ की गई सील की स्थिति में, माल उतारने के बंदरगाह पर 100% जाँच की जाएगी।

4. निर्यातक के अनुरोध पर, माल उतारने वाले बंदरगाह पर सीमा शुल्क विभाग निर्यात प्रोत्साहन के वितरण को सत्यापित करने और शिपिंग बिल और एलईओ को रद्द करने के लिए निर्यात बंदरगाह से संपर्क करेगा।

5. निर्यात बंदरगाह यह सुनिश्चित करेगा कि यदि प्रोत्साहन राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है तो उसे वापस लिया जाए/वसूली की जाए।

6. निर्यात बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी आईसीएस में शिपिंग बिल और एलईओ रद्द कर देंगे।

7. सत्यापन के बाद, उचित अधिकारी **बैक टू टाउन (बीटीटी)** सुविधा की अनुमति दे सकता है।

8. डीजी सिस्टम, आईसीईएस में ईजीएम के बाद शिपिंग बिल रद्द करने का विकल्प प्रदान करेगा।

9. रद्द किए गए शिपिंग बिल का विवरण ICEGATE के माध्यम से RBI, DGFT और अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।

10. उपर्युक्त नई प्रणाली के विकसित होने तक, क्षेत्रीय इकाइयाँ (निर्यात बंदरगाह) सभी अभिलेखों को मैन्युअल रूप से रखेंगी और प्रणाली के चालू होने के बाद उसमें विवरण दर्ज करेंगी।

(ख) **अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट** ।

1. संदर्भ: सीबीआईसी परिपत्र संख्या 14/2007-सीयूएस दिनांक 16.03.2007।

2. सभी अधिसूचित बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से 31.03.2026 तक एलसीएल कार्गो के अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट की अनुमति है।

3. संबंधित क्षेत्राधिकार के मुख्य आयुक्तों द्वारा तय किए गए अनुसार, सुरक्षित भंडारण, बुनियादी ढांचे और रसद की उपलब्धता के अधीन सुविधा का विस्तार।

(सी) तरल थोक/खंड थोक माल

1. सुरक्षा या रसद संबंधी आपात स्थितियों के कारण भारतीय बंदरगाहों की ओर मार्ग परिवर्तन की स्थिति में:

क. सीमा शुल्क क्षेत्रों, बंधुआ गोदामों या बंधुआ टैंक सुविधाओं में अस्थायी अनलोडिंग और भंडारण की अनुमति है।

बी. उद्देश्य: आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल भेजना या पुनः निर्यात करना।

2. शर्तें:

ए. माल उतारने, रिक्त स्थान सर्वेक्षण और मात्रा निर्धारण के दौरान सीमा शुल्क पर्यवेक्षण।

ख. अनुमोदित संरक्षक के अधीन भंडारण (धारा 45, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962)।

सी. उचित इन्वेंट्री रिकॉर्ड।

घ. बांड/वचन का निष्पादन।

ई. माल परीक्षण।

एफ. माल सीमा शुल्क नियंत्रण में रहना चाहिए; इसे घरेलू खपत के लिए मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए या डीटीए को डायवर्ट नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) उपर्युक्त छूट, परिपत्र संख्या 09/2026-सीमा शुल्क दिनांक 08 मार्च, 2026 और परिपत्र 10/2026-सीमा शुल्क दिनांक 10 मार्च, 2026 के तहत प्रदान की गई छूट 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संपूर्ण जानकारी के लिए संलग्न परिपत्र को देखें।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260318023059.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल

---------- ---------- --अनकोट---------- -- ---------- --